

ज्ञापांक- ३८३ / एल-२  
५२-१४-२१-१६/एल-२

## पुलिस महानिदेशक का कायरिय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- ११ -०२ - 2016

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक,  
सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित),  
सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस,  
बिहार।

**विषय:-** अंगरक्षक एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आप अवगत हैं कि जिला स्तर पर जिला सुरक्षा समिति तथा प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति गठित है। माननीय विधायक, मंत्री, सांसदगण एवं पार्षद को अनुमान्य मापदंड के अनुसार अंगरक्षक देय है। इन महानुभावों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी जिलों/वाहनियों से सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है।

उल्लेखनीय है कि जो भी सुरक्षा महानुभावों अथवा अन्य व्यक्तियों को दी जाय वह उनके सुरक्षा मात्र खतरे के आकलन पर आधारित कर दी जाय। ऐसे दृष्टान्त आये हैं कि कुछ व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है तथा कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें तत्काल कारणों से सुरक्षा उपलब्ध करायी थी, उन्हें भी लगातार सुरक्षा दी जा रही है तथा सुरक्षा की लगातार समीक्षा नहीं की जा रही है।

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)/समादेष्टा स्वयं दी जा रही अंगरक्षकों की समीक्षा उक्त आलोक एवं खतरे के आकलन के संदर्भ में कर लेंगे और भविष्य में भी समीक्षा प्रतिमाह करेंगे। समीक्षोपरान्त फरवरी माह की अद्यतन सूची अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना एवं पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना को दिनांक 23.02.2016 तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायेंगे। उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.02.2016 से बिहार विधान मंडल का बजट सत्र भी प्रारम्भ हो रहा है। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक-198/एल-२ दिनांक 22.01.2016 भी दृष्टव्य है।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)  
बिहार, पटना।

**प्रतिलिपि:-** अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, अप० अनु० वि०/आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस एवं रेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय मंडल, पटना/उत्तरी मंडल, मुजफ्फरपुर बिहार सैन्य पुलिस/रेल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।